भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1680

10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन

1680. **श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सब्सिडी, कर छूट और विनिर्माताओं एवं उपभोक्ताओं के लिए सहायता उपाय सहित इन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपनाने के लिए कोई विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपनाने में इन प्रोत्साहनों की प्रभावशीलता से संबंधित राज्य-वार आंकडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): जी हाँ।

(ख) और (ग): पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान पंजीकृत 24,79,120 इलेक्ट्रिक दुपहिया की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए 1,772 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। योग्य ई- दुपहिया खरीदारों को खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को की जाती है।

इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को किसी भी प्रकार की कर छूट नहीं दी गई है। यद्पि पीएम ई-ड्राइव के तहत प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपभोक्ताओं को लक्षित करते हैं, तथापि विनिर्माताओं को ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव

(पीएलआई) स्कीम के माध्यम से समर्थन दिया जाता है, जिसके तहत पात्र एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य के 13% से 18% की सीमा में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की शर्त के रूप में, विनिर्माताओं को एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) का पालन करना आवश्यक है, जो घरेलू ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के प्रगामी स्थानीयकरण को अनिवार्य बनाता है।

(घ): यह स्कीम अखिल भारतीय स्तर पर लागू की गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से प्रोत्साहन उपलब्ध हों।

(ङ): 05.02.2026 तक, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 14,39,224 ई-दुपहिया के लिए मंत्रालय द्वारा ओईएम को कुल 1,182.32 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 01.04.2024 से 05.02.2026 के दौरान प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले ई-दुपहिया की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	**राज्य**	**प्रोत्साहन प्राप्त ई-2डब्ल्यू की संख्या**
1	महाराष्ट्र	2,71,849
2	कर्नाटक	1,57,534
3	तमिलनाडु	1,43,914
4	उत्तर प्रदेश	1,15,246
5	राजस्थान	94,004
6	मध्य प्रदेश	88,869
7	केरल	87,524
8	ओडिशा	74,804
9	आंध्र प्रदेश	72,372
10	गुजरात	70,427
11	तेलंगाना	51,085
12	छत्तीसगढ	36,317
13	पश्चिम बंगाल	30,423
14	दिल्ली	30,287
15	पंजाब	29,092
16	बिहार	22,982
17	हरियाणा	18,784
18	झारखंड	10,232
19	गोवा	9,235
20	उत्तराखंड	8,938

21	पुदुचेरी	4,273
22	असम	3,827
23	जम्मू और कश्मीर	2,741
24	चंडीगढ़	1,641
25	हिमाचल प्रदेश	1,050
26	मिजोरम	625
27	त्रिपुरा	529
28	मेघालय	179
29	मणिपुर	162
30	दमन और दीव	106
31	दादरा और नगर हवेली	78
32	अरुणाचल प्रदेश	32
33	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	31
34	सिक्किम	14
35	लक्षद्वीप	9
36	नगालैंड	9
	कुल	**14,39,224**

*****